न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–34 / 21 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2021 / 153

उनवान

1. कृष्ण कन्हैया पुत्र कुमरपाल जाति काछी निवासी बंशी बागरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर, राजस्थान।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कुमरपाल } पुत्र राम सिंह
2. किशन सिंह }
3. अशोक }
4. विमलेश पत्नि किशन सिंह
5. सौमौती पत्नी कुमरपाल
6. नत्थी सिंह पुत्र श्रीचन्द

} जातियान काछी निवासी बंशी बागरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

7. राधा रमन पुत्र जौहरी जाति ब्राहम्ण निवासी सिकरौदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
8. चेतकौर पुत्री राम सिंह पत्नि खूबीराम जाति माली निवासी वैर तहसील वैर।
9. बरफी पत्नि भगवान सिंह }
10. रूप सिंह पुत्र बुद्धि } समस्त काछी निवासी बहरावली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
11. भगवान सिंह पुत्र ताराचन्द }
12. नर्वदा पत्नि भगवान सिंह जाति कछवाहा निवासी मारूति स्टेट चौराहा वोरला आगरा।
13. पुस्कर लाल पुत्र गंगादेई पुत्री राम सिंह।
14. जमना }
15. भगवती } पुत्रिया गंगादेई जाति काछी निवासी वमनपुरा मौहल्ला बयाना जिला भरतपुर।
16. जानकी }
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रूपवास।
18. प्रबन्धक महोदय बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक खानुआ तहसील रूपवास।
19. सुम्मेरा पुत्र रामजीलाल जाति. काछी निवासी बंसी बागरी तहसील रूपवास।
20. वीरेन्द्र }
21. प्रेम सिंह } जाति धोबी निवासीयान पीली पोखर तहसील एत्मादपुर जिला आगरा।
22. राकेश कुमार }
23. उदयवीर सिंह }

..... रेस्पोंडेंट।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 12.01.2021 उनवानी कृष्ण कन्हैया बनाम कुमरपाल प्र0स0 64/14

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रताप सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री उदयवीर कंसाना उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–07.05.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 12.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बंशी वागरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी अपीलाण्ट के बाबा स्व0 श्री राम सिंह की छोडी हुयी एवं उनकी स्वः अर्जित आराजी है। जिसको उन्होनें अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा से व पूरे होश हवास में दिनांक 23.07.1996 को प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई महेश कुमार को वसीयत कर दी। प्रार्थी के भाई महेश कुमार की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिये प्रार्थी अपीलाण्ट ही विवादित आराजी का अकेला स्वामी हो गया। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो0 ने स्व0 राम सिंह के मरने के पश्चात् विवादित आराजी का विरासतन दाखिला अपने नाम करवा लिया एवं प्रार्थी की वसीयत को झूठा बताते हुये विवादित आराजी में प्रार्थी अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारो से इंकार कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सनुवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ की कोई विवेचना नहीं की गयी है एवं मात्र दो पंक्ति का निर्णय पारित किया है, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। विवादित आराजी की वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में है। विवादित आराजी स्वःअर्जित सम्पत्ति है। जिसकी वसीयत करने का पूर्ण अधिकार स्व0

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राम सिंह के पास था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जिसकी नियमानुसार वसीयत नहीं हो सकती है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को स्वः अर्जित सम्पत्ति होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वसीयत भी झूठी एवं कूटरचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014(2) पेज 1301, 2015(2) पेज 756, आरआरटी 2015(1) पेज 633, आरआरडी 2020 पेज 246, 2017 पेज 588 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे साबित होता हो कि विवादित आराजी स्व0 राम सिंह की स्वःअर्जित सम्पत्ति होना साबित हो। वही दूसरी ओर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2016–19 में विवादित आराजी स्व0 राम सिंह के पिता वंशी के नाम दर्ज रही है। इसके अलावा पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा प्रार्थी अपीलाण्ट ने वक्त नाबालिग अपनी मॉ के संरक्षण में एक वाद पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया था। जिसे बाद में उसने अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करा लिया। तत्पश्चात् विवादित आराजी बाबत् विरासत का नामान्तकरण खुला। प्रार्थी अपीलाण्ट ने ना तो पूर्व दावे को ही रिस्टोर कराया एवं ना ही विरासत के नामान्तकरण की कोई अपील ही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है एवं पुनः नये सिरे से वसीयत का सहारा लेते हुये दावा प्रस्तुत कर दिया। वसीयत का परीक्षण मूल दावे में विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होना शेष है। फिलहाल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को तय करते समय हम एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 21.01.21 यथावत रखे जातें हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर